IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Original Application No. 06 of 2023

Priyank Karnatak — Petitioners

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 – 5
3.	**Annexure No. 1 (colly):** Copies of letter dated 20.01.2024.	6 - 7
4.	**Annexure No. 2:** Copy of reply dated 04.03.2024 of Uttarakhand Jal Sansthan.	8 - 8
5.	**Annexure No. 3:** Copy of letter dated 28.02.24 of Project Manager, Uttarakhand Peyjal Nigam, Gopeshwar.	9 - 9
6.	**Annexure No. 4 (colly):** Letter dated 01.03.2024 of District Magistrate, Chamoli.	10 - 17

Dated: March, 2024

Advocate
(Counsel for the respondent)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT.OF UTTARAKHAND (INDIA)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

ON BEHALF OF

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

In

Original Application No. 06 of 2023

Priyank Karnatak ... Petitioner(s)

Versus

State of Uttarakhand ... Respondent(s)

Affidavit of Dr. Rajendra Singh, aged about 51 years, S/o Late Shri Balbir Singh presently posted as Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun (Uttarakhand).

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as Scientific Officer and has been duly authorized by the Member Secretary, Uttarakhand

Pollution Control Board, Dehradun to sign and swear the instant affidavit on his behalf.

2) That the above noted O.A. was listed for hearing on 11.01.2024, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to observe the following:

"………….

4. We find from the results of STPs (Annexure 4) that fecal coliform have been exceeding and there is necessity to properly disinfect the effluents. Further, the report does not disclose about the adequacy of two STPs i.e., 0.26 and 1.0 MLD particularly during the peak tourist/pilgrims season.

…………."

3) That in compliance of the above-stated order, UKPCB vide letters dated 20.01.2024 has issued necessary instructions to Chief General Manager, Uttarakhand Jal Sanasthan, Dehradun and Uttarakhand Peyjal Nigam, Dehtradun for necessary action. Copies of letters dated 20.01.2024 is being marked and filed as **Annexure No.1 (colly)** to this affidavit.

4) That in response of UKPCB letter, Uttarakhand Jal Sansthan has informed that presently STPs located at Badrinath are not in operation due to off season. In order to control fecal coliform necessary arrangement of chlorine doser will be provided in STPs before start of yatra season. Copy of letter dated

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun
Reg.No.19(01)/20..
GOVT. OF UTTARAKHAND

04.03.2024 of Uttarakhand Jal Sansthan is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

5) That the Uttarakhand Peyjal Nigam is the nodal agency for planning, survey, design and execution of urban as well as rural sewage schemes in the State of Uttarakhand. In response of UKPCB letter, the Project Manager, Uttarakhand Peyjal Nigam, Gopeshwar has informed that projected population is taken 19989 and 23578, for the base year 2017 and 2027, respectively. It is also stated that the base year and design year calculation for projected population is also included the floating population of 2017 and 2027. As per reply STPs are designed for base year and design year capacities are 0.95 MLD and 1.26 MLD, respectively and are sufficient. Water flow rate is 60 LPCD. Copy of letter dated 28.02.24 of Project Manager, Uttarakhand Peyjal Nigam is being marked and filed as **Annexure No. 3** to this affidavit.

6) That the District Magistrate, Chamoli has also forwarded various activities undertaken in compliance of orders passes in the matter to this office. Copy of letter dated 01.03.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 4 (colly)** to this affidavit.

7) That UKPCB is presently not monitoring the STPs located at Badrinath as they are temporarily closed due to the off-season. However, once the pilgrimage season commences, the STPs will be operational, and monitoring activities will be carried out accordingly.

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND

8) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

I, ………, Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be ……………………is the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

……….

Advocate

Enroll. No. ….

Solemnly affirmed before me on this day of March, 2024 at Dehradun at about 6:20 AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

S.No-1194/24

This affidavit is sworn before me by
Shri……………………
who is identified by Shri…………
at Dehradun on……………………
4/3/24
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

NOTARY
(Rajender Singh Negi) ... OF UTTARAKHAND (INDIA)

Notary

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–666 / 2024 / 1266 दिनांक 20.01.2024

एन0जी0टी0 मैटर

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जलभवन, बी– ब्लाक,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून
ई–मेलः– cgm-js-ua@nic.in, cgmujs@gmail.com

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 06 / 2023 **Priyank Karnatak Vs State of Uttarakhand** में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (**संलग्नक–1**)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निदेशों के साथ–साथ निर्देशित किया गया है किः–

4. We find from the results of STPs (Annexure 4) that fecals coliform have been exceeding and there is necessity to properly disinfect the effluents. Further, the report does not disclose about the adequacy of two STPs i.e., 0.26 and 1.0 MLD particularly during the peak tourist/pilgrims season.

उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि स्थापित एस0टी0पी0 के अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए समुचित Disinfection करने का कष्ट करें। कृपया प्रकरण पर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। शुलभ सन्दर्भ हेतु मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल एस0टी0पी0 के अनुश्रवण आंकड़ों की प्रति संलग्न है (**संलग्नक–2**)।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
वैज्ञानिक अधिकारी

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–666/2024/1267

दिनांक 20.01.2024
एन0जी0टी0 मैटर

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
पेयजल निगम
11 मोहिनी रोड़, देहरादून।
E-Mail- md.peyjal-uk@gov.in

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 06/2023 **Priyank Karnatak Vs State of Uttarakhand** में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निदेशों के साथ–साथ निर्देशित किया गया है कि:–

> *4. We find from the results of STPs (Annexure 4) that fecals coliform have been exceeding and there is necessity to properly disinfect the effluents. Further, the report does not disclose about the adequacy of two STPs i.e., 0.26 and 1.0 MLD particularly during the peak tourist/pilgrims season.*

उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया बद्रीनाथ धाम में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या के आधार पर प्रतिदिन जनित सीवेज की मात्रा (अधिकतम) तथा वर्तमान में स्थापित एस0टी0पी0 की क्षमता एवं उपयुक्तता पर आख्या एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि बद्रीनाथ धाम में अतिरिक्त एस0टी0पी0/सीवरेज नेटवर्क की आवश्यकता/प्रस्तावित हो तो, उक्त की अद्यतन स्थिति से भी इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

20/01/2024

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
वैज्ञानिक अधिकारी

Annexure-2

दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्स: 0135–2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान,
'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांक 9700/ अप्रै–03/NGT/2023–24 दिनांक 05 मार्च, 2024

सेवा में,

वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू0के0पी0सी0बी0),
46वीं, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 06/2023** Priyank Karnatak Vs State of Uttarakhand **में पारित आदेश दिनाँक 11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–666/2024/1266 दिनांक 20.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम स्थित 0.26 एम0एल0डी0 और 1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियंत्रित हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश 11.01.2024 से निर्देशित किया गया है। के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त एस0टी0पी0 (0.26 एम0एल0डी0 और 1.0 एम0एल0डी0) में अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा नियंत्रित किये जाने हेतु क्लोरीन डोजर का अधिष्ठापन कार्य वर्तमान में बद्रीनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के कारण बन्द हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 01 सप्ताह पूर्व उक्त एस0टी0पी0 में क्लोरीन डोजर का अधिष्ठापन कार्य सम्पन्न करा लिया जायेगा। जिससे कि अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(मनीष सेमवाल)
सचिव, अप्रैजल

Tiwaristeno71

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
गोपेश्वर।

**Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar-246401**

Email : <pmganga.gc@gmail.com>

पत्रांक 323 / पी–1 / 07	दि0 28 / 02 / 2024	प्रेषण का माध्यम	ई–मेल		डाक द्वारा	

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
निर्माण मण्डल (गंगा),
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हरिद्वार।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06 / 2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 235 / कार्य–15 / 02 दिनांक 27.01.2024 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदक सं0–06 / 2023 प्रियांक कनार्टक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 का पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की आख्या निम्नुनसार प्रेषित है :–

क्र0सं	बिन्दु	आख्या
1	In this Original Application the gnevance is about improper functioning of the Sewage Treatment Plants at Badrinath and discharge of untreated water in river Alakananda which ultimately forms part of river Ganga there by polluting the main river in violation of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016.	All S.T.P's situated in the Badrinath ji have been handed over to U.J.S Gopeshwar , Hence the information related to this matter can be obtained from U.J.S.
2	In terms of the direction of the Tribunal, the report dated 22-11-2023 by UKPCB has been filed and the said report disclosed the Status of Sewage Management and Solid waste Management as under.	In Badrinath ji there are 3 S.T.P's of 1.27 MLD capacity (1.00+0.26+0.01).The design calculation for the population projection is on the basis of 2011 census. For the base year 2017 the projected population is taken 19989 and for design year 2027 the projected population is taken 23578. (The base year and design year calculation for projected population also included the floating population of 2017 and 2027). As per the S.T.P design for base year and design year capacity are 0.95mld and 1.26mld respectively and it is sufficient. (the water flow rate is 60 LPCD).
3	The report by way of affidavit on behalf of the District Magistrate. Chamoli has also filed where in same facts are reiterated.	
4	We find from the results of STPs (Annexure 4) that fecal coliform have been exceeding and there is necessity to properly disinfect the effluents. Further the report does not disclose about the adequacy of two STPs i.e 0.26 and 1.00 MLD particularly during the peak tourist/pilgrims season.	
5	It has been pointed out that EA No. 27/2023 in O.A. No 561/2022, Urvashi Shobhna Kachari vs Union of India & Ors is pending before the tribunal where in the larger issue of canying capacity of pilgrims in Chardham is involved and being examined.	

भवदीय

for परियोजना प्रबन्धक

<u>**कार्यालय महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।**</u>

पृ0 सं0 724 / कार्य–13 / 31 दिनांक 29.02.2024

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को उनके पृ0सं0 71 / नागर अनु0 / एन0जी0टी0 / 05 दिनांक 27.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

उत्तराखण्ड,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

संख्या–2760 / इक्कीस–एल0बी0सी0–1 / 2022–2023 दिनांक 01 मार्च, 2024

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06 / 2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06 / 2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 की प्रति श्री राहुल वर्मा अधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अनुपालन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में संबंधित विभागों से अनुपालन आख्या प्राप्त की गयी तथा प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव महोदय शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

Signed by Sitabulal
Date: 01-03-2024 11:52:13
(सिताबू लाल),
प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी, चमोली।

O/C

L.B.C.I.

4/03/24

कार्यालय नगर पंचायत बद्रीनाथ, चमोली।

Email- npbadrinath@gmail.com

पत्रांक 361 /21–63/2023–24 दिनॉक 20 फरवरी 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालयी पत्र सं0 115/इक्कीस–एल0बी0सी0–1/2022–23 दिनांक 13 फरवरी 2023 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 –06/2023 प्रियंक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 एवं श्री राहुल वर्मा, अधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.01.2024 के क्रम में अवगत करना है कि श्री बद्रीनाथ क्षेत्र वर्तमान में बर्फबारी के कारण बन्द है, श्री बदरीनाथ क्षेत्र बन्द होने से पूर्व तक की बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

01–कूड़े का संग्रहण :– नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत पंचायत के 04 वार्डो (वार्ड सं0–01– बद्रीकाश्रम, 02–नरपुरी, 03–नैगणी, 04–शेषनेत्र,) में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य पंचायत के कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से किया जा रहा है। नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा बायोडिग्रेडेबल कूड़े को डोर टू डोर के माध्यम से अलग–अलग लिया जाता है।

वर्ष 2023–24 में माहवार उत्पादित कूड़े का विवरण–

क0स0	माह	सूखा	गीला	कुल
01	अप्रैल	3.0	1.0	4.0
02	मई	12.8	5.2	18.0
03	जून	12.52	6.68	19.20
04	जुलाई	15.1	5.2	20.30
05	अगस्त	10.8	4.37	15.17
06	सितम्बर	19.5	5.5	25.0
07	अक्टूबर	17.2	8.42	25.62
08	नवम्बर	9.3	5.6	14.90
योग		100.22	41.97	142.19

02–यूजर चार्जेस :– नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत घरों/प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्जेज के रूप में वर्तमान वर्ष 2023–24 में अतिथि तक रू0 459910.00 (चार लाख उनसठ हजार नौ सौ दस रू0 मात्र) की आय अर्जित की जा चुकी है।

03–कूड़े का परिवहन :– नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा नगर क्षेत्र में डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्र कर कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से उठाये गये कूड़े को एकत्र कर हाथ गाड़ी तथा कट्टों माध्यम से कूड़ा वाहन में डालकर कंचन गंगा के निकट नगर पंचायत के ट्रैचिंग ग्राउण्ड में ले जाकर गीले कूड़े को कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जाती है तथा सूखे कूड़े को कॉम्पैक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्ट किया जाता है।

04–कूड़े का निपटान :– नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न कूड़े को सूखे कूड़े को अलग–अलग कर कॉम्पैक्ट कर पुर्नचक्रण हेतु विक्रय किया जा रहा है। नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा वर्ष 2023–24 में अतिथि तक विगत वर्ष के अवशेष, ग्राम माणा से एकत्र सूखे कूड़े तथा वर्ष 2023–24 में कॉम्पैक्ट कूड़े से कुल 98.30 टन सूखे कूड़े से विक्रय कर 769447.00 (सात लाख उनहत्तर हजार चार सौ सैन्तालिस रू0) मात्र की आय की जा चुकी है। तथा गीले कूड़े को कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जाती है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ट्रैचिंग ग्राउण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

05–प्रचार–प्रसार/जनभागीदारी :– नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा एकत्र किया जाता है, तथा नगर क्षेत्रान्तर्गत जनजागरूकता रैली एवं पेन्टिंग प्रतियोगिता, वॉल पेन्टिंग, प्रचार प्रसार, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार, होर्डिंग के माध्यम से प्रचार तथा पंचायत के वाहनों से प्रचार किया जाता है।

06–नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में **Anti Littering - Anti Spitting act 2016** तथा प्लास्टिक **अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत निम्न चालान कर अर्थदण्ड वसूला गया है।**

क्र0सं0	Anti Littering - Anti Spitting act 2016		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत	
	चालानों की संख्या	वसूला गया जुर्माना	चालानों की संख्या	वसूला गया जुर्माना
01	169	75950	08	14500

अतः सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बदरीनाथ

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
गोपेश्वर।

Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar-246401

Email : <pmganga.gc@gmail.com>

पत्रांक 269 / पे0-01 / .... दि0 19 / 02 / 2024 प्रेषण का माध्यम ई-मेल / डाक द्वारा

सेवा में,

जिलाधिकारी
चमोली।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 115/इक्कीस-एल0बी0सी0-1/2022-2023 दिनांक 13.02.2024 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदक सं0-06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 का पत्र में उल्लिखित विन्दुओं के पर आख्या निम्नानुसार है:

क्रम0सं0	बिन्दु	आख्या
1	In this Original Application the grievance is about improper functioning of the Sewage Treatment Plants at Badrinath and discharge of untreated water in river Alakananda which ultimately forms part of river Ganga there by polluting the main river in violation of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016.	All S.T.P's situated in the Badrinath ji have been handed over to U.J.S Gopeshwar, Hence the information related to this matter can be obtained from U.J.S.
2	In terms of the direction of the Tribunal, the report dated 22-11-2023 by UKPCB has been filed and the said report disclosed the Status of Sewage Management and Solid waste Management as under.	
3	The report by way of affidavit on behalf of the District Magistrate, Chamoli has also filed where in same facts are reiterated.	
4	We find from the results of STPs (Annexure 4) that fecal coliform have been exceeding and there is necessity to properly disinfect the effluents. Further the report does not disclose about the adequacy of two STPs i.e 0.26 and 1.00 MLD particularly during the peak tourist/pilgrims season.	

5	It has been pointed out that EA No. 27/2023 in O.A. No 561/2022, Urvashi Shobhna Kachari uv Union of India & Ors is pending before the tribunal where in the larger issue of canying capacity of pilgrims in Chardham is involved and being examined.	In Badrinath ji there are 3 S.T P's The design calculation for the population projection is on the basis of 2011 census. For the base year 2017 the projected population is taken 19989 and for the design year 2027 the projected population is taken 23578. As per the S.T.P design for base year and design year capacity are 0.95mld and 1.26mld respectively.(the water flow rate is 60 LPCD).

भवदीय

(एस०के० वर्मा)
परियोजना प्रबन्धक

प्रेषक,

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर–चमोली।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
जिलाधिकारी कार्यालय,
चमोली।

पत्रांक 1119 /एन0जी0टी0–06/2023–24 दिनांक 25 फरवरी 2024

विषय– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियंका कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 115/इक्कीस–एल0बी0सी0–1/2022–23 दिनांक 13 फरवरी 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियंका कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 11.01.2024 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है, कि "उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014" एवं संशोधित नियमावली–2016 के अन्तर्गत जनपद चमोली में होटल/मोटल/रिजार्ट/टूरिस्ट रेस्ट हाउस पंजीकृत इकाईयों की कुल संख्या 315 एवं आश्रम/धर्मशाला पंजीकृत इकाईयों की संख्या 06 है।

अतः सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय,
25/2/24

कृते–जिला पर्यटन विकास अधिकारी
गोपेश्वर–चमोली।

पृ0प0सं0 / /समदिनांकित/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चमोली।

कृते–जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर–चमोली।

Accommodation Details in Chamoli District

S.No.	Tourist Place Name	Hotel/ Lodge		Home Stay		GMVN/ Government		Dharmshala/ Gurudwara		Total Approximately Capacity
		Total room	No. of Beds	Total room	No. of Beds	Total room	No. of Beds	Total room	No. of Beds	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Badrinath Dham/ Mana	430	5000	-	-	80	1500	300	7000	13500
2	Pandukeshwar/ Govindghat	120	2500	12	300	14	35	110	4000	6835
3	Joshimath	700	4000	148	1800	150	400	115	2000	8200
4	Auli	140	250	98	196	76	180	-	-	626
5	Pipalkoti/Mayapur	725	3000	35	140	35	90	65	500	3730
6	Chamoli	450	1800	120	260	07	14	-	-	2074
7	Gopeshwar/Mandal	520	2080	196	550	35	100	-	-	2730
8	Karanprayag	960	2880	155	600	70	180	-	-	3660
9	Gauchar	408	1224	06	15	70	220	-	-	1459
10	Gairsain	200	700	90	450	30	135	-	-	1285
11	Gwaldam/Dewal	375	800	490	2200	36	45	-	-	3045
12	Pulna/Ghangaria	480	3000	11	280	22	60	15	350	3690

अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर, (चमोली)

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जल भवन, नेहरू कालोनी,
देहरादून।

पत्रांक:— 2937 /STP /2023—24 दिनांक:— 27/02/2024

विषय— मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन में।

महोदया

उपरोक्त विषयक, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0—183—666/2024/1266 दिनांक 20.01.2024 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा योजित मूल आवेदन संख्या 06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि शाखा गोपेश्वर के अन्तर्गत 11 एस0टी0पी0 का संचालन एव रख—रखाव कार्य किया जा रहा है। इनमें से 08 एस0टी0पी0 क्रमशः गोपेश्वर के 03 एस0टी0पी0, चमोली के 02 एस0टी0पी0, नन्दप्रयाग के 02 एस0टी0पी0 तथा जोशीमठ के 01 एस0टी0पी0 में अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियत्रित किये जाने हेतु क्लोरीन डोजर का अन्तिम उत्प्रवाह से पूर्व अधिष्ठापन कराते हुये क्लोरीनेशन कर फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियत्रित किया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम स्थित अवशेष 03 एस0टी0पी0 में से 0.10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का संचालन कोई भी सीवर संयोजन न होने के कारण बन्द है। अवशेष 02 एस0टी0पी0 में अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियत्रित किये जाने हेतु क्लोरीन डोजर का अधिष्ठापन कार्य बर्फबारी एवं कपाट बन्द होने के कारण नहीं कराया जा सका है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 01 सप्ताह पूर्व अवशेष 02 एस0टी0पी0 में क्लोरीन डोजर का अधिष्ठापन कार्य करा दिया जायेगा। जिससे कि अन्तिम उत्प्रवाह में फिकल कोलीफार्म की मात्रा को नियत्रित किया जा सके।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—

1— महाप्रबन्धक महोदय (गढवाल) उत्तराखण्ड जल संस्थान पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, वृत—गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता